संख्या- 162 /2020 / 1840 /चार-2020

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

विषय:- राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-447/उ0प्र0सं0नि0-1(56)/2017- 18टीसी दिनांक 23 सितम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 2491.29 लाख का संशोधित आगणन उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन के निर्माण हेतु संशोधित आगणन का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 1170.41 लाख की धनराशि मूल्यांकित की गयी है। तद्नुसार राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन के निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1170.41 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है। उक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 60 /2020 /2927/चार-2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान/शर्तें यथावत रहेंगी।

3. प्रायोजना में इंटीरियर एक्जीबिट जैसे विशिष्ट प्रकृति के कार्य की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के संबंध में प्रमुख सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परिक्षण कर लागत संस्तुत की जाएगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जाएगी। तद्नुसार शासनादेश संख्या- 60 /2020 /2927/चार-2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कार्य उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाय।

4. शासनादेश संख्या-60 /2020 /2927/चार-2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020, 18.05.2020 एवं शासनादेश दिनांक 29.09.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 162 /2020 / 1840 /चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ (यूपीसिडको)।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।